न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र मुत.(मुन्तकली) संख्या– 32/19 **सन् 2019**

आरसीएमएस संख्या 2019/00147

बउनवानी :– 1. कजोडया पुत्र फैली गुर्जर निवासी नागरहेडा तह0 बामनवास जिला सवाईमाधोपुर
2. विश्राम पुत्र कजोडया गुर्जर निवासी नागरहेडा तह0 बामनवास जिला सवाईमाधोपुर
3. केलाश पुत्र कजोडया गुर्जर निवासी नागरहेडा तह0 बामनवास जिला सवाईमाधोपुर
4. ज्ञानसिंह पुत्र कजोडया गुर्जर निवासी नागरहेडा तह0 बामनवास जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. हीरालाल पुत्र कन्हैया बैरवा निवासी डाबर तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर
2. भागोती पुत्री हरी सिंह बैरवा निवासी डाबर तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर
3. अनिता पुत्री हरी सिंह बैरवा निवासी डाबर तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर
4. मन्ना पुत्र चन्द्रया बैरवा निवासी डाबर तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर
5. राजमोहन पुत्र रामसहाय बैरवा निवासी डाबर तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर
6. महेन्द्र पुत्र रामसहाय बैरवा निवासी डाबर तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर
7. संतोष पुत्र रामसहाय बैरवा निवासी डाबर तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर
8. बलवान पुत्र रामसहाय बैरवा निवासी डाबर तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर
9. सुनिता पुत्री रासहाय बैरवा निवासी डाबर तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर

(मुन्तकली प्रार्थना पत्र विरूद्ध उप जिला कलेक्टर बामनवास मे जैरकार प्रकरण सख्या दावा संख्या 58/2019 एवं टी.आई प्रार्थना पत्र 42/2019 उनवानी हीरालाल बनाम कजोडया अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.ऐक्ट)

उपस्थितः 1. श्री गिर्राज सिंह गुर्जर — वकील प्रार्थीगण
2. श्री रमेश चन्द गोयल — वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णय :– **दिनांक 11.3..2019**

वकील प्रार्थी ने न्यायालय उपजिला कलेक्टर बामनवास में विचाराधीन प्रकरण सख्या दावा संख्या 58/2019 एवं टी.आई प्रार्थना पत्र 42/2019 उनवानी हीरालाल बनाम कजोडया के सम्बन्ध में अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.ऐक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध में टिप्पणी तलबी की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का भूमि विवाद को लेकर एक वाद पत्र मय स्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र उपजिला कलेक्टर बामनवास के न्यायालय में विचाराधीन है। वादीगण चालाक किस्म के व्यक्ति है जो अनूसूचित जाति के लोग है एवं अनुसूचित जाति संघ के पदाधिकारी है एवं प्रतिवादीगण सामान्य जाति से संबंध रखते है। पीठासीन अधिकारी भी अनुसूचित जाति के है जो आपस मे मेल मिलाप रखते है एवं पीठासीन अधिकारी अनुसूचित जाति का समर्थक व्यक्ति है जो सरेआम पक्षपात करते है। उक्त वाद पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी जैरकार है जिसमे पीठासीन अधिकारी स्थगन जारी करने पर उतारू है जिससे अनावश्यक विवाद होकर मुकदमेबाजी होने की पूरी सम्भावना है। दिनांक 31.10.2019 को वादीगण ने प्रतिवादीगण से सरेआम कहा कि आज हमारे बामनवास मे अनुसूचित जाति संघ की बैठक है जिसमे मुख्य अतिथि श्रीमान हेमराज परिडवाल, उपजिला कलेक्टर बामनवास है जहॉ पर इस मुकदमे के बारे मे भी विचार विमर्श कर अनुसूचित जाति के लोगो से पक्षपात करने पर दबाव बनाने का प्रयास करेगें और दिनांक 1.11.2019 को सरे आम कहा कि हमारी पीठासीन अधिकारी महोदय से

डॉ० एस० पी० सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

इस प्रकरण के बारे मे बात हो गयी अब आगामी तारीख पेशी को स्थगन जारी होकर हमारे पक्ष में निर्णय हो जावेगा। इस प्रकार तहत न्यायालय मे पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा किये गये आचरण से प्रार्थी को अपने प्रकरण में न्याय मिलने की उम्मीद नही है। इसलिए उपजिला कलेक्टर बामनवास के यहॉ विचाराधीन मामला संख्या दावा संख्या 58/2019 एवं टी.आई प्रार्थना पत्र 42/2019 उनवानी हीरालाल बनाम कजोडया को उपजिला कलेक्टर बामनवास के न्यायालय से दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निराधार एवं झूंठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण अनुसूचित जाति के लोग है तथा प्रतिवादीगण लडाकू किस्म के व्यक्ति है तथा प्रतिवादीगण की जमीनो पर जबरन लठठ के जोंर से कब्जा करने की कोशिश की तब अप्राथीगण को अदालत मातहत मे दावा पेश करना पडा। अप्रार्थी की काश्त की गयी फसल को जानवरो से चराकर नष्ट करवा देते है जिसके संबंध मे अप्रार्थीगण द्वारा थाने मे रिपोर्ट पेश की है जिसमे तफ्तीश कर प्रार्थीगण को दोषी मानकर चालान पेश किया है तथा अदलत मातहत मे विचाराधीन मुकदमों को देरीना करने की गरज से उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। यदि उक्त दावा को स्थानान्तरित किया जावेगा तो अप्रार्थीगण पर अनावश्यक वित्तीय भार बढेगा। यह तर्क भी दिया कि दिनांक 31.10.19 को संघ की बैठक के बारे मे अप्रार्थीगण को जानकारी नही है ओर ना ही उनके द्वारा ऐसा कहा गया है उक्त सभी प्रार्थीगण द्वारा मनगढन्त एवं बेबुनियाद लगाये गये है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उपजिला कलेक्टर बामनास की ओर प्राप्त टिप्पणी में भी पीठासीन अधिकारी द्वारा अंकित किया गया कि उक्त प्रकरण उनके न्यायालय मे जवाब की स्टेज पर विचाराधीन है। उक्त वाद से संबंधित आराजीयात मुताबिक राजस्व रिकार्ड हीरालाल के नाम खातेदारी मे दर्ज है जिसपर प्रतिवादीगण का कब्जा है। तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को पाबन्द करवाने हेतु उक्त वाद पेश किया गया है।

वकील उभयपक्षों की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि प्रार्थीगण द्वारा उपजिला कलेक्टर न्यायालय बामनवास के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापो की पुष्टि वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर नही होती है। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी द्वारा किया गया कथन कि प्रार्थी द्वारा उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है कि पुष्टि प्रस्तुत आदेशिका दिनांक 31.10.2019 की प्रति से हो जाती है जिसके अनुसार प्रकरण वास्ते जवाब एवं तलवी अन्य प्रतिवादी नियत था। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र महज प्रकरण के निस्तारण में दैरीना करने की दृष्टि से झूंठे एवं निराधार तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिसमे कोई सत्यता नही है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय कि किसी भी पीठासीन अधिकारी द्वारा वाद का निस्तारण जाति,समाज के आधार पर नही किया जाता है बल्कि साक्ष्य,सबूतो एवं दस्तावेजात के आधार पर किया जाता है। चूंकि प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरणों की सुनवायी विधिवत तरीके से किया जाना पाया गया है इसलिए उक्त प्रकरणों को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की आवश्यकता नही है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र सारहीन प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.3.2020 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2020.03.30 18:06:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: